# न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

**(शिवचरण मी ा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या:– 102 / 2016
प्रविष्टि दिनांक:– 01–09–2016

बालसिंह पुत्र चावण्ड सिंह जाति राजपूत निवासी डोरिया थाना पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक ..... अपीलाण्ट

बनाम
तहसीलदार मालपुरा

..... रेस्पोडेण्ट

**अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार मालपुरा दिनांक 22.09.2015 मिसल संख्या 1097 / 2015**

उपस्थितः (1)श्री नंदलाल मीणा, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री सहदेव, तहसीलदार मालपुरा (रेस्पोडेण्ट स्वंय)

## निर्णय दिनांक 30.01.2023

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा ने उनके आदेश दि0 22.09.2015 द्वारा ग्राम डोरिया तहसील मालपुरा के खसरा नम्बर 28 / 1 रकबा 14.01 बीघा में से 0.05 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन खारडा पर बाडा बनाकर अनाधिकृत कब्जा होने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करने व 90 दिवस के सिविल कारावास तथा पेनेल्टी कयम करने का निर्णय पारित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस पर विधि अनुसार अपीलांटस की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को बिना सुने हुये साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं कर उक्त निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है और ना ही स्वयं मौका देखा गया है। अपीलांटस का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक अपीलांटस के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की गई है जिसके आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है जबकि मौके पर भूमि खाली पडी हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

पारित किया है, जबकि अपने निर्णय में इस तथ्य का कोई हवाला नहीं दिया गया है कि अपीलांटस को पूर्व में कब, कौनसी तारीख अथवा पत्रावली से उसे उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किया गया। बिना किसी ठोस सबूत पेश के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया है। आर आर डी 2001 पेज 401 के अनुसार पूर्व में पारित बेदखली का निर्णय पटवारी के बयानों में प्रदर्शित नहीं हुआ है, जिससे आज्ञापक नियमों के खिलाफ जाकर निर्णय दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। उक्त भूमि वर्तमान में खाली पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारन्टी की तामील कराने पर हुआ एवं उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिस पर नकल मिलते ही यह अपील प्रस्तुत कर दी हैं। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 भी प्रस्तुत हैं जिसे स्वीकार फरमाया जावे। अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलांट को दोष मुक्त फरमाया जावे।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्टस ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 28/1 रकबा 14.00 बीघा में से 0.05 बीघा पर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया था जिससे सिद्व होता है कि अतिक्रमी राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने के आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्टस की विधिवत रूप से तामील हुई है। किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्टस द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 28/1 रकबा 14.00 बीघा में से 0.05 बीघा वाके ग्राम डोरिया की भूमि पर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। इस संबंध में तहसीलदार मालपुरा से भूमि की मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मालपुरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 268 दिनांक 24.01.2023 से रिपोर्ट प्रेषित की हैं जिसमें अंकित किया हैं कि उक्त भूमि पर अपीलांट ने बाडा लगाकर कब्जा किया हुआ हैं। भूमि खसरा नम्बर 28/1 गैर मुमकिन खारडा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि हैं। अपीलांट भूमि से कब्जा छोडना नहीं चाहता हैं। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्टस खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.09.2015 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवनारायण मीणा)
अति.जिला कलेक्टर,टोक